



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 वैशाख 1948 (श10)
(सं0 पटना 398) पटना, बुधवार, 29 अप्रील 2026

बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार

अधिसूचना
17 मार्च 2026

सं० नि.प्रा./04-01/02/2025/667— चूंकि बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 की धारा 14 (क) में किये गये संशोधन एवं सहकारिता विभाग, बिहार सरकार की अधिसूचना संख्या-1273 दिनांक 01.03.2012 के क्रम में उक्त अधिनियम के तहत निबंधित सहकारी समितियों के प्रबंधकारिणी समिति, जो या तो अधिक्रमित हैं या जिनकी कालावधि समाप्त होने वाली है, का निर्वाचन बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार के नियंत्रण, निदेशन एवं पर्यवेक्षण के अधीन कराया जाना है।

2. और, चूंकि उक्त परिप्रेक्ष्य में प्राधिकार द्वारा अनुलग्नक-1 में अंकित 02 सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड की प्रबंधकारिणी समिति का निर्वाचन कराने का निर्णय लिया गया है, जो अवक्रमित है अथवा जिनका निर्वाचन देय है।

3. अतः बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार अधिनियम, 2008 की धारा-4 एवं बिहार सहकारिता अधिनियम, 1935 (यथा संशोधित, 2008) की धारा 14 'क' तथा सुसंगत नियमावलियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य निर्वाचन प्राधिकार एतद् द्वारा संलग्न कंडिका-4 में अंकित कार्यक्रम के अनुसार अनुलग्नक-1 में अंकित 02 सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड के उनकी उपविधियों में यथा वर्णित पदों के लिए निर्वाचन हेतु सविरोध निर्वाचन की स्थिति में, मतदान हेतु दिनांक 20.04.2026 (सोमवार) की तिथि नियत करता है तथा संघ के मतदाताओं से अपेक्षा करता है कि वे संगत अधिनियम/ नियमावली/ प्राधिकार के निदेशों के अधीन संघ के पदधारकों को निर्वाचित करें। ज्ञातव्य है कि इस उद्देश्य हेतु प्राधिकार द्वारा अपने पत्र संख्या- 367 दिनांक 11.02.2026 के द्वारा 01 सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड का तथा पत्र संख्या- 428 दिनांक 17.02.2026 के द्वारा अनुपूरक सूची के रूप में 01 सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड का मतदाता सूची तैयार करने के लिए कट-ऑफ तिथि दिनांक 31.01.2026 निर्धारित की गयी है एवं तदनुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन दिनांक 12.03.2026 को संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा किया जा चुका है।

4. अनुलग्नक-1 में अंकित 02 सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड के प्रबंध समिति के निर्वाचन हेतु निम्नांकित कार्यक्रम नियत किया जाता है:-

क्र०	निर्वाचन के प्रक्रम	तिथि
(i)	निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा प्रपत्र-ई० 1 में सूचना का प्रकाशन	23.03.2026 (सोमवार)
(ii)	नामांकन की तिथि एवं समय	08.04.2026 (बुधवार) एवं 09.04.2026 (गुरुवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iii)	संवीक्षा की तिथि एवं समय	10.04.2026 (शुक्रवार) एवं 11.04.2026 (शनिवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(iv)	अभ्यर्थिता वापसी/प्रतीक आवंटन की तिथि	13.04.2026 (सोमवार) 11 बजे पूर्वाह्न से 03 बजे अपराह्न तक
(v)	मतदान, अगर आवश्यक हो	20.04.2026 (सोमवार) 07:00 बजे पूर्वाह्न से 04:30 बजे अपराह्न तक
(vi)	मतगणना	20.04.2026 (सोमवार) (मतदान के तुरंत पश्चात्)
(vii)	निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति	22.04.2026 (बुधवार)

5. बिहार सहकारी सोसाईटी (संशोधन) अधिनियम (बिहार अधिनियम 06, 2013) द्वारा अधिनियम VI, 1935 की धारा-14 में किये गये संशोधन के आलोक में प्रबंधकारिणी समिति के निर्वाचन में आरक्षण के बिन्दु पर निम्न निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा:-

- निबंधक, सहयोग समितियाँ, बिहार, पटना के पत्रांक-4992 एवं 4996 दिनांक 01.11.2013 के अनुसार सीधे निर्वाचित होने वाले एकल पदों (यथा अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष आदि) पर आरक्षण लागू नहीं होगा किन्तु इन पदों की गणना निदेशक मंडल के लिए होगी और पूरे निदेशक मंडल पर आरक्षण प्रावधान लागू होगा। जैसे बारह सदस्यीय निदेशक मंडल में अध्यक्ष, सचिव पद आदि सीधे निर्वाचन से होना हो तब भी इन दो पदों को अनारक्षित मानते हुए अवशेष दस पदों में से छः पद आरक्षित होंगे।
- सहकारी समिति के प्रबंधकारिणी समिति में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए 2 (दो) स्थान, पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान और अति पिछड़े वर्गों के लिए 2 (दो) स्थान आरक्षित किये जायेंगे।
- उपर्युक्त आरक्षित स्थानों की कुल संख्या प्रबंधकारिणी समिति के कुल स्थानों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।
- अगर समिति में उपर्युक्त आरक्षित कोटियों के कोई सदस्य नहीं हैं, तो आरक्षित पद खाली रहेंगे।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग में प्रत्येक कोटि के लिए अलग-अलग आरक्षित स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु 50 प्रतिशत से किसी भी परिस्थिति में अधिक नहीं, स्थान उपर्युक्त आरक्षित कोटियों की महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। अगर समिति की उपर्युक्त कोटियों में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो ये पद खाली रहेंगे।
- अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित स्थानों को छोड़कर प्रबंधकारिणी समिति में जो शेष स्थान बच जाते हैं, उन स्थानों की कुल संख्या के 50 प्रतिशत के यथाशक्य निकटतम, किन्तु किसी भी परिस्थिति में इससे अधिक नहीं, स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किये जायेंगे। स्पष्ट किया जाता है कि इन स्थानों के लिए सामान्य कोटि की महिलाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति/ पिछड़ा वर्ग/ अति पिछड़ा वर्ग की वैसी महिलाएँ भी अपना नामांकन भर सकेंगी, जिन्होंने आरक्षित कोटि वर्ग से अपनी उम्मीदवारी पेश नहीं की है। अगर इस कोटि में कोई महिला सदस्य नहीं है, तो महिलाओं के लिए आरक्षित पद रिक्त रहेंगे।

6. निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए अनुलग्नक-2 पर संलग्न प्रपत्र-ई० 1 में आवश्यक प्रविष्टियाँ अंकित कर सूचना दिनांक 23.03.2026 (सोमवार) को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। प्रपत्र-ई० 1 को प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन कार्यक्रम का मतदाताओं के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित) के अध्याय-3 की कड़िका-(1) से (5) में वर्णित निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। समाचार के रूप में कवरेज हेतु इस कार्यक्रम की सूचना स्थानीय समाचार पत्रों को भी भेजी जायेगी। उपर्युक्त का साक्ष्य अभिलेख के रूप में संधारित किया जायेगा।

7. जिन समितियों का निर्वाचन कार्यक्रम अधिसूचित किया जा रहा है, उन समितियों के संबंध में संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी संवीक्षा की तिथि को प्रपत्र- ई० 3 (नए प्रकाशित निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका, 20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित, में उल्लिखित) में विधिमन्यतः नामनिर्दिष्ट अभ्यर्थियों की सूची तथा मतगणना की तिथि को प्रपत्र- ई० 18 में निर्वाचित सदस्यों की सूची उन्हीं तिथियों को ई-मेल (bseapatna@gmail.com)

द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही प्राधिकार के वेबसाइट पर भी ई-18 अनिवार्य रूप से अपलोड किया जाए।

8. संबंधित निर्वाचन पदाधिकारी प्रबंधकारिणी समिति के विभिन्न पदों के निर्वाचन के लिए मानक प्रपत्र-ई. 1 में आवश्यक प्रविष्टियां अंकित कर सूचना निर्धारित तिथियों को निर्गत करना सुनिश्चित करेंगे। मतदान का समय 7:00 बजे पूर्वाह्न 4:30 बजे अपराह्न तक होगा। प्राधिकार का निर्देश है कि उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त प्रतिवेदन पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा मतदान की अवधि 7:00 बजे पूर्वाह्न 3:00 बजे अपराह्न तक निर्धारित की जा सकती है। इस मतदान की अवधि का उल्लेख अपरिहार्य रूप से उक्त तिथियों को प्रकाशित की जाने वाली सूचना (प्रपत्र-ई. 1) में किया जायेगा।

9. जिला निर्वाचन पदाधिकारी (स.स.) के विवेक पर छोड़ा जाता है कि मतगणना यथास्थिति मतदान के पश्चात् उसी दिन अथवा अगले दिन को सुबह 08:00 बजे से शुरू की जाय। यदि मतगणना मतदान के दिन ही होती है तो कोई वज्रगृह बनाने की आवश्यकता नहीं होगी। किन्तु यदि दूसरे दिन मतगणना करायी जाती है तो वज्रगृह की स्थापना की जायेगी तथा वज्रगृह में मतदत्त पेटियों को रखने, वज्रगृह को सील करने तथा दूसरे दिन वज्रगृह को खोलकर मतपेटियों को मतगणना केन्द्र पर ले जाने के समय की सूचना अनिवार्य रूप से सभी अभ्यर्थियों को लिखित रूप में निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। अनुलग्नक-1 पर संलग्न प्रपत्र-ई 1 में मतदान केन्द्र एवं मतगणना केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायगा। सभी प्रपत्रों "ई" (यथा-ई 1, ई 2 इत्यादि) में संशोधन किया गया है। अतः सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु "निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका (20 सितम्बर, 2024 तक संशोधित)" में उल्लिखित प्रपत्रों का ही उपयोग किया जायेगा। उक्त प्रपत्र प्राधिकार के वेबसाइट <https://bsea.bihar.gov.in> पर भी उपलब्ध हैं।

10. मतगणना प्रक्रिया की निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के दृष्टिकोण से वज्रगृह को सील करने, खोलने, सीलबंद मतपत्र की मतपेटिका को खोलने आदि महत्वपूर्ण घटनाओं की यथासंभव विडियोग्राफी भी करायी जायेगी।

11. निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा कतिपय प्रविष्टियों के साथ अभिलेखों को भी प्राधिकार के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना है। इसके संबंध में संलग्न परिशिष्ट-1 में निर्देश दिये गये हैं।

12. निर्वाचन संपन्न होने के पश्चात् प्रपत्र- ई0 18 (निर्वाचित सदस्यों की सूची) और निर्वाचन पदाधिकारी के नाम, हस्ताक्षर, तिथि एवं मुहर युक्त अंतिम मतदाता सूची (जिसपर निर्वाचन संपन्न हुआ हो) की मूल प्रति स्कैन कराकर प्राधिकार के वेबसाइट पर परिशिष्ट-1 के निर्देशों के अनुरूप अपलोड करायेंगे। अंतिम मतदाता सूची के प्रत्येक पृष्ठ पर निर्वाचन पदाधिकारी का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

13. बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार द्वारा निरूपित आदर्श आचार संहिता निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक लागू रहेगी। आदर्श आचार संहिता से संबंधित अनुदेश "सहकारी समितियों के निर्वाचन हेतु निर्वाचन पदाधिकारियों के लिए हस्तपुस्तिका" के पृष्ठ 134-139 पर देखे जा सकते हैं।

आदेश से,
कयूम अंसारी,
संयुक्त सचिव।

अनुलग्नक-1

निर्वाचन हेतु सहयोग विकास एवं ईख क्रय विक्रय संघ की सूची

क्र०	जिला	प्रखंड	सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ/सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड का नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	सारण	मकर	सोनहो सी0डी0सी0एम0 यूनियन लिमिटेड	
2	सारण	एकमा	चैनवा सहयोग विकास एवं ईख क्रय-विक्रय संघ समिति, चैनवा	

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 398-571+50-डी0टी0पी0

Website : <https://egazette.bihar.gov.in>